पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 127/2020

1. प्रभूदयाल पुत्र बृजलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गढडा त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. मीरादेवी पुत्री बृजलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गढडा त0 भादरा।
2. सुमित्रा पुत्री बृजलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गढडा त0 भादरा।
3. भतेरी पुत्री बृजलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गढडा त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मुशीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा गढडा के खाता सं0 112/117 के खसरा सं0 126 की 7.310है0, खसरा सं0 131 की 1.631है0, खसरा सं0 132 की 0.610है0, खसरा सं0 304/1 की 1.479है0, खसरा सं0 310 की 4.136है0 कुल 15.166है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 बृजलाल उर्फ बिरजूराम के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से बृजलाल उर्फ बिरजूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी प्रभूदयाल को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/2/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:32:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 127/2020

1. प्रभूदयाल पुत्र बृजलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गढडा त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. मीरादेवी पुत्री बृजलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गढडा त0 भादरा।
2. सुमित्रा पुत्री बृजलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गढडा त0 भादरा।
3. भतेरी पुत्री बृजलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गढडा त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : वादी
वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : प्रतिवादीगण

निर्णय   दिनांक : 19/2/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा गढडा के खाता सं0 112/117 के खसरा सं0 126 की 7.310है0, खसरा सं0 131 की 1.631है0, खसरा सं0 132 की 0.610है0, खसरा सं0 304/1 की 1.479है0, खसरा सं0 310 की 4.136है0 कुल 15.166है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 बृजलाल उर्फ बिरजूराम के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले वादी के दादा गोमंद की खातेदारी हुआ करती थी। गोमन्द के देहान्त होने पर उक्त भूमि को वादी के पिता बृजलाल उर्फ बिरजूराम ने कर्ता, खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं 4 स्टेट को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण गण द्वारा रा... किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य ... गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू प्रभूदयाल पुत्र बृजलाल ... ब्राहम्ण निवासी गढडा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम गढडा के खाता सं0 112/117 प्रदर्श 1, सत्यप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बृज... प्रदर्श 2, सरपंच ग्राम पंचायत गढडा बृजलाल उर्फ बिरजूराम प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, सत्यप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र सरबती प्रदर्श 4 वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गढडा प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:32:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि वादी के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। वादभूमि वादी के पिता बिरजूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ग्राम पंचायत की रिपोर्ट के आधार पर बृजलाल व बिरजूराम एक ही व्यक्ति है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने गढडा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 5 में वारिसप्रमाण पत्र में बृजलाल उर्फ बिरजूराम के एक पुत्र प्रभूदयाल व तीन पुत्री मीरादेवी, सुमित्रा व भतेरी के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा गढडा के खाता सं0 112/117 के खसरा सं0 126 की 7.310है0, खसरा सं0 131 की 1.631है0, खसरा सं0 132 की 0.610है0, खसरा सं0 304/1 की 1.479है0, खसरा सं0 310 की 4.136है0 कुल 15.166है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 बृजलाल उर्फ बिरजूराम के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से बृजलाल उर्फ बिरजूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा गढडा के खाता सं0 112/117 के खसरा सं0 126 की 7.310है0, खसरा सं0 131 की 1.631है0, खसरा सं0 132 की 0.610है0, खसरा सं0 304/1 की 1.479है0, खसरा सं0 310 की 4.136है0 कुल 15.166है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 बृजलाल उर्फ बिरजूराम के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से बृजलाल उर्फ बिरजूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी प्रभूदयाल को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...19/2/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:32:57 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

कार्यालय :–ग्राम पंचायत गढड़ा ,प0 स0 भादरा जिला हनुमानगढ

क्रमांक————— दिनांक 7-9-2020

(वारिस प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि :– बृजलाल पुत्र श्री गोविन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी गांव गढड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान का देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान निम्न प्रकार है :–

बृजलाल पुत्र गोविन्दराम फौत

|

1– सरबती पत्नि फौत
2– प्रभु दयाल पुत्र मोजूद
3–मीरा पुत्री मोजूद
4–सुमित्रा पुत्री मोजूद
5– भतेरी पुत्री मोजूद

उपरौक्त वारिसान है अन्य कोई वारिस नही है ।

यह प्रमाण पत्र आज दिनांक 7-9-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर सहित जारी किया गया

हस्ताक्षर सरपंच मय सील
सरपंच ग्रा0 पं0 गढड़ा शकुन्तला

शकुन्तला गोदारा
सरपंच
ग्राम पंचायत गढड़ा
पं.स. भादरा (हनु.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:32:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner